न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 247/14
(जीसीएमएस संख्या 2014/00462)

निर्णय दिनांकः– 14-11-2022

1. मालाराम
2. बगताराम

पिसरान स्व. अमराराम पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी गांव रीगण तहसील व जिला चूरू हाल आबाद चक 3 एसडब्ल्यूएम तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. श्रवणराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 17–06–2013
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः–
1. श्री गिरधारीलाल रामावत, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 17–06–2013 जिसके द्वारा अपीलांट् की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विधि विरूद्व तरीके से किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि तहसील पूगल के चक 3 एसएलएम हाल चक 3 एसडब्ल्यूएम 132/28 के किला नम्बर 12, 16, 19 ता 24 तादादी 8 बीघा भूमि अपीलांट्स के पिता अमराराम पुत्र चूनाराम को बतौर भूमिहीन श्रेणी में दिनांक 15–02–1977 को आवंटित की गई थी तथा मौके पर कब्जा प्रदान कर दिया गया था। तभी से वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स के पिता व वर्तमान में अपीलांट्स का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स की आक्यूपाईड लैण्ड वर्ष 1977 से ही रही है। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति की जॉच किये बिना अपीलांट्स के पिता को विधिवत आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम कर दिया गया। जबकि उक्त आवंटन की दिनांक के दिन वादग्रस्त भूमि अपीलांट् का आक्यूपाईड लैण्ड थी जो किसी भी रूप में आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि की श्रेणी में नहीं आती है। अदालत मातहत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मात्र रेस्पोडेन्ट्स को बेजा फायदा पहुॅचानें की नियत मात्र से अपीलांट् के धारण की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिसका कतई अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं था। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार से प्राप्त नहीं की गई है।

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट के आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्व रूप से आराजीराज भूमि नहीं थी वरन् अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड थी ऐसी स्थिति में आक्यूपाईड लैण्ड का आवंटन रेस्पोडेन्ट को नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना किसी प्रकार की जॉच किये वादगत् भूमि का आंवटन रेस्पोडेन्ट्स को कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने के मद्देनजर तमाम कार्यवाही आनन–फानन में की गई है। जिसका अदालत मातहत को कतई कानूनी अधिकार

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हासिल नहीं है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट्स के पिता को आवंटित व वर्तमान में अपीलांट्स की आक्यूपाईड लैण्ड थी। जिसका आवंटन किसी भी स्थिति में रेस्पोडेन्ट्स को नहीं किया जा सकता है। अपीलांट्स के पिता के आवंटन को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यवाही राजस्व अमले की है नाकि अपीलांट्स की। ऐसी स्थिति में राजस्व कर्मचारियों की उदासीनता व लापरवाही का दण्ड अपीलांट्स को नहीं मिल सकता। लिहाजा अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में दौराने बहस सेल रजिस्टर की छाया प्रति जिसमें वादग्रस्त भूमि की किश्तें जमा होने का उल्लेख है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 756, आरआरडी 1991 पेज 218, आरबीजे 1994 पेज 181, आरबीजे 1999 पेज 158, आरआरटी 2018 पार्ट I पेज 290 व आरआरटी 2010 पार्ट I पेज 99 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपीलांट्स द्वारा जानकारी के दिन से अन्दर मियांद अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को न्यायालय स्तर से रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व दिनांक 04–12–2019 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होने के आधार पर आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में विधि सम्मत तरीके से किया गया है। उक्त भूमि के आवंटन के पश्चात् रेस्पाडेन्ट्स का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। अपीलांट्स अपने अधिकारों के प्रति सावचेत नहीं रहे है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट्स के अधिकार शेष नहीं रहे है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–06–2013 के विरूद्व अपील दिनांक 17–11–2014 को प्रस्तुत की गई है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र विश्वास करते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम वादगत् भूमि चक 3 एसडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 132/28 के किला नम्बर 12, 16, 19 ता 24 तादादी 8 बीघा भूमि का आवंटन वर्ष 1977 में अपीलांट्स के पिता अमराराम पुत्र चूनाराम को बतौर भूमिहीन श्रेणी में किया गया तथा कालान्तर में उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर मिडियम पेच श्रेणी में किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अदालत मातहात द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान उपनिवशेन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) के तहत मिडियम पेच श्रेणी में किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा भी वादगत् भूमि की तमाम राशि खजाराराज में जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 के पक्ष में जारी हो चुका है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट्स/रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपने–अपने अधिकार बताते हुए वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सरंक्षणा की चेष्टा की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा एक ही आराजी का दो बार आवंटन कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में यह तथ्य जॉच का विषय है कि अदालत मातहत द्वारा एक ही भूमि का दोहरा आवंटन किस आधार पर किया गया है। वादग्रस्त भूमि के आवंटन के समय पक्षकारों के धारण में रही भूमि की जॉच भी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अदालत मातहत द्वारा सही तरीके से नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जोकि पूर्व में अपीलांट्स के पिता को आवंटित भूमि रही है। अदालत मातहत के उक्त कृत्य से पक्षकारों को अनावश्यक रूप से न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्सयम ही इस तथ्य की जॉच कर ली जाती कि क्या वादग्रस्त भूमि शुद्व रूप से आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि है अथवा नहीं? तो प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियों से बचा जा सकता था। चूंकि प्रकरण में उभय पक्षों द्वारा अपने आवंटन को वैध मानते हुए मौके पर राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है व अपना–अपना कब्जा बताया जा रहा है। ऐसीस्थिति में जहॉ तक आवंटन आदेश की वैधता/वादग्रस्त आराजी के मौके पर कब्जे काश्त का प्रश्न है, यह तथ्य अदालत मातहत की जॉच का विषय है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों आवंटनों के संबंध में अपीलांट्स/रेस्पोडेन्ट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व वादग्रस्त आराजी के संबंध में रिकार्ड की जॉच करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 14-11-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर